# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग/फार्मासिस्ट/सेवानिवृति/पार्ट–2/2018/ दिनांकः–

### –:आदेशः–

श्री रामलखन गोयल, फार्मासिस्ट, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी स्व0 डॉ. मंगल सिंह, जिला चिकित्सालय, धोलपुर जिनकी जन्म तिथि 17.07.1958 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 03.03.1984 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2018 को राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामलखन गोयल, फार्मासिस्ट के विरूद्ध आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नही है।

–Sd–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग/फार्मासिस्ट/सेवानिवृति/पार्ट–2/2018/266 दिनांकः–30/07/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेंशन एंव पेशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन–भरतपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी स्व0 डॉ. मंगल सिंह, जिला चिकित्सालय, धोलपुर को उनके पत्र कमांक 3144 दिनांक 16.07.2018 के कम में प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कार्मिको के सेवानिवृति आदेश जारी करने के प्रस्ताव सेवानिवृति के छः माह पूर्व निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

D:/Nurse-1 Final/MN1 Order

(2)

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– नर्सिग/सेवानिवृति/फार्मा./पार्ट–2/2018/267 दिनांक: 30/07/18

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
स्वतंत्रता सेनानी स्व0 डॉ. मंगल सिंह, जिला चिकित्सालय,
धोलपुर

विषयः– श्री रामलखन फार्मासिस्ट, के सेवानिवृति प्रस्ताव विलम्ब से भिजवाने के संबंध मे।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 3144 दिनांक 16.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री रामलखन फार्मासिस्ट जिनकी जन्म तिथि 17.07.1958 है जो 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2018को राज्य सेवा से सेवानिवृति के प्रस्ताव संदर्भित पत्र द्वारा माह के अन्त मे प्रेषित किये है। नियमानुसार कार्मिको के सेवानिवृति के प्रस्ताव छः माह पूर्व भिजवाये जाने चाहिऐ थे जो नहीं भिजवाये गये है इस प्रकार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरती गयी है।

अतः प्रकरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कर्तव्य के प्रति बरती गयी लापरवाही व उदासीनता के आरोप में प्रारूप आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र प्रपत्र अबसद तथा संबंधित अभिलेख निदेशालय को तत्काल भिजवावे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

D:/Nurse-1 Final/ MN1 Letters